

2864
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, मार्च, 21 2024

विषय :- वित्तीय 2024-25 हेतु देशी मदिरा (36% v/v) टेट्रा 200 एम०एल० पैक की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्तालय के पत्र संख्या 27633/सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून दिनांक मार्च, 21, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) अस्थाई रूप से निर्धारित की गयी थी।


उक्त के कम में आयुक्तालय के पत्र संख्या 27633/सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून दिनांक मार्च, 21, 2024 के कम में उल्लिखित 200 एम०एल० की धारिता के टेट्रा पैक की आपूर्ति दर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व हित के दृष्टिगत 200एम०एल० कोंच की धारिता के समान रखते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) अस्थाई रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

Sr. No.	Particulars	(200ML) Tetra
1	Supply Rate	14.89
2	Excise Duty	1.80
3	Total (1+2)	16.69
4	VAT @10%	1.67
5	Total (3+4)	18.36
6	Cess @2%	0.37
7	Women Emp./Sports/Cow welfare	0.80
8	Billing Rate to CL-2 (5+6+7)	19.53
9	CL-2 Profit per Bottle (Q/P/N/T)	1.00
10	Total (8+9)	20.53
11	Pratifaal	0.77
12	Billing Rate to CL-5 (10+11)	21.29
13	MGD @290BL	58.00
14	Landed Cost to CL-5 (10+13)	78.53
15	Profit @20%	15.71
16	Total (14+15)	94.23
17	CL MRP Rounded	95

कृपया उपरोक्तानुसार आगणन के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(प्रशांत आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

28243-49
संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी महोदय उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. उप आबकारी आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
7. समस्त देशी आर्पूतक इकाईयों, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।


(प्रशांत अर्षि)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।
ow